न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर .

पीठासीन अधिकारीः अशोक कुमार मीणा आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 24/12 दायर दिनांकः– 07–02–2012

महावीर प्रसाद पुत्र श्री केसराराम जाति जाट निवासी ग्राम अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0 ----- प्रार्थी

बनाम

1– मनोहर कंवर पत्नी श्री जोगसिह (फौत)
1/1– पाबूदान सिह ┐ पिसरान श्री जोग सिह अकवाम राजपूत निवासीयान बडाकोटेचा
1/2– हुकम सिह ┘ तहसील ओसिया जिला जोधपुर राज0
2– रूकमा पत्नी श्री रावताराम जाति जाट साकिन अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ
3–चमेलीकंवर पत्नी श्री बिड़दसिह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ
4– विजयसिह ┐ पिसरान श्री भवानीसिह अकवाम राजपूत निवासीयान ग्राम अमरपुरा जाटान
5– देवेन्द्र सिह ┘ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
6– महेन्द्र सिह पुत्र श्री चन्द्र सिह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 कोलो0 एक्ट 1954

उपस्थित :–

1– श्री सर्वजीत छाबड़ा अभिभाषक प्रार्थी।
2– राजेन्द्र शर्मा , राकेश शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2
3–राजाराम भादू ,राजवीर भादू अभिभाषक अप्रार्थी नं0 3 व 4

–:– निर्णय –:– दिनांकः– 02/12/12

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीया नं0 1 मनोहर कंवर के नाम रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172/2 में 30–00बीघा , खसरा नं0 67/2 में 2–00बीघा व खसरा नं0 78 में 4–06बीघा इस प्रकार कुल 36–06बीघा भुमि सरकार को धोखा देकर अपने पक्ष में आंवटन करवाया है । अप्रार्थीया नं0 1 का देहान्त हो चुका है. । अप्रार्थीया नं0 1 गांव अमरपुरा जाटान की निवासी नही थी बल्कि गांव बडाकोटेचा तहसील ओसियां जिला जोधपुर की निवासी थी इसलिये सरकार को स्पष्टतया धोखा दिया है । गांव बडाकोटेचा तहसील ओसिया जिला जोधपुर के निवासी को तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर में भूमि आंवटन कराने का कोई कानून अधिकार नही था राज्य सरकार द्वारा भी गांव अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ के बाहर के लोगो को भी आमन्त्रित नही किया गया था। अप्रार्थीया गांव अमरपुरा की कतई निवासी नही थी व ना ही इसके नाम कोई रिहायशी प्लाट या मकान है। रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172/2 में 30–00बीघा भूमि दिनांक 30–06–1975 को अलोट हुई थी जिसका नवीनीकरण भी लगातार सम्वत 2041 तक होता रहा है । सम्वत 2042 में बिना सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त किये 36–06 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया , 6–06 बीघा भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभाव में 36–06 बीघा का नवीनीकरण किया जाता रहा है । वरवक्त पुख्ता आंवटन उसके जायज वारिस अप्रार्थी नं0 1/1 व 1/2 हुकम सिह व पाबूदान सिह द्वारा जो परिचय पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भी अपने आप को बड़ाकोटेचा तहसील औसिया जिला जोधपुर का निवासी बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा सरकार को धोखा देकर जरिये मिसल सं0 202/89 दिनांक 08–01–1990 को खसरा नं0 172/2 की 30–00बीघा व खसरा नं0 67/2 में 2–00बीघा व खसरा नं0 78 में 4–06 बीघा = 6–06 बीघा कुल इस प्रकार 30–00बीघा बारानी व 6–06बीघा नाली में आंवटन करवाया है जबकि खसरा नम्बर 67/2 व 78 की कुल 6–06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में आरजी आंवटन का आदेश जारी ही नही हुआ है ऐसी अवस्था में नियम विरूद्ध आंवटन आदेश प्राप्त कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुचाया है । अप्रार्थी नं0 1/1 व 1/2 हुकम सिह व पाबूदान सिह द्वारा सरकारी कर्मचारियो से मिल कर गलत तथ्य प्रस्तुत

--- 2 पर लगातार

02/12/12
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कर भूमि का आंवटन करवाया व खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के पश्चात उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी नं0 2 व 3 के पक्ष में करवा दिया नियम विरूद्ध आंवटन के आधार पर केतागण को किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते व ना ही किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है ।

यह कि वर्तमान रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172/2 की 30–00बीघा जो अप्रार्थीया रूकमा पत्नी रावता राम के नाम से है चक 10 एस एल डी के प0 नं0 66/389 का किला नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, पं0 नं0 68/389 का किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 = 5–00बीघा , पं0 नं0 65/390 का किला नं0 1–10/2–00बीघा , पं0 न0 66/390 के किला नं0 3 ता 8/6–00बीघा व चक 12 एस एल डी के पं0 नं0 63/389 का किला नं0 24–25/2–00बीघा कुल 30–00बीघा भूमि पैमूद हुई है ।

अप्रार्थी नं0 3 की खसरा नं0 67/2 की 2–00बीघा , खसरा नं0 78 की 4–06बीघा कुल 6–06 बीघा भूमि जो कि अब वर्तमान में चकबन्दी आने पर चक 13 एस एल डी के पं0 नं0 64/379 के किला नं0 1, 2, 3, 8, 9,10 कुल 1.518 हे0 मे पैमूद हो चुका है । अप्रार्थी नं0 3 ने रकबे का दान सगे पोतो विजय सिह , देवेन्द्र सिह पुत्रगण भवानीसिह तथा महेन्द्र सिह पुत्र श्री चन्द सिह राजपूत को दिनांक 01–01–2014 को पंजीयन कार्यालय सूरतगढ के समक्ष पंजीयन करवाया है । इस प्रकार नियम विरूद्ध आंवटन को निरस्त करते हुये पश्चातवर्ती बैयनांमा / दान–पत्र को निषिद्ध मानते हुये जैरवाद रकवा बहक सरकार रिज्यूम का प्रार्थना–पत्र पेश किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्र किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया अप्रार्थी नं0 2 ता 5 की तरफ से जरिये अभिभाषक हाजिर आये । अप्रार्थी नं0 1/1, 1/2 व 6 के समन तामिल पर उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थीगण ने जबाब प्रार्थना–पत्र मय दस्तावैज प्रस्तुत किया । जबाब प्रार्थना–पत्र के आधार पर संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया । अप्रार्थी नं0 1 आवटी की मूल पत्रावली 202/89 निर्णय दिनांक 08–01–1990 तलब की गई । जो सलग्न पत्रावली की गई ।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अप्रार्थीया नं0 1 मनोहर कंवर के नाम रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172/2 में 30–00बीघा , खसरा नं0 67/2 में 2–00बीघा व खसरा नं0 78 में 4–06बीघा इस प्रकार कुल 36–06बीघा भुमि सरकार को धोखा देकर अपने पक्ष में आंवटन करवाया है। अप्रार्थीया नं0 1 का देहान्त हो चुका है । अप्रार्थीया नं0 1 गांव अमरपुरा जाटान की निवासी नही थी बल्कि गांव बडाकोटेचा तहसील ओसियां जिला जोधपुर की निवासी थी इसलिये सरकार को स्पष्टतया धोखा दिया है । गांव बडाकोटेचा तहसील ओसिया जिला जोधपुर के निवासी को तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर में भूमि आंवटन कराने का कोई कानून अधिकार नही था राज्य सरकार द्वारा भी गांव अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ के बाहर के लोगो को भी आमन्त्रित नही किया गया था। अप्रार्थीया गांव अमरपुरा की कतई निवासी नही थी व ना ही इसके नाम कोई रिहायशी प्लाट या मकान है । रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172/2 में 30–00बीघा भूमि दिनांक 30–06–1975 को अलोट हुई थी जिसका नवीनीकरण भी लगातार सम्वत 2041 तक होता रहा है । सम्वत 2042 में बिना सक्षम अधिकारी से आदेश प्राप्त किये 36–06 बीघा भूमि का नवीनीकरण किया गया , 6–06 बीघा भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अभाव में 36–06 बीघा का नवीनीकरण किया जाता रहा है । वरवक्त पुख्ता आंवटन उसके जायज वारिस अप्रार्थी नं0 1/1 व 1/2 हुकम सिह व पाबूदान सिह द्वारा जो परिचय पत्र प्रस्तुत किया है उसमें भी अपने आप को बड़ाकोटेचा तहसील औसिया जिला जोधपुर का निवासी बताया है । अप्रार्थीगण द्वारा

--- 3 पर लगातार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

सरकार को धोखा देकर जरिये मिसल सं0 202/89 दिनांक 08-01-1990 को खसरा नं0 172/2 की 30-00बीघा व खसरा नं0 67/2 में 2-00बीघा व खसरा नं0 78 में 4-06 बीघा = 6-06 बीघा कुल इस प्रकार 30-00बीघा बारानी व 6-06वीघा नाली में आंवटन करवाया है जबकि खसरा नम्बर 67/2 व 78 की कुल 6-06 बीघा भूमि के सम्बन्ध में आरजी आंवटन का आदेश जारी ही नही हुआ है । आवटित रकबा वर्तमान में चकबन्दी मे पैमूद हो चुका है । अप्रार्थी नं0 1 के पति जोगासिह के नाम संयुक्त खाता बडाकोटेचा तहसील ओसिया में रकबा का खुलासा नही किया गया । अपने कथन के समर्थन में न्यायक दृष्टान्त 2000 आर आर डी पेज 140 , 2007 (1) आर एल डब्ल्यू पृष्ट 103 , 2005 (1) आर एल डब्ल्यू पृष्ट 210 के उद्धरण पेश किये। अतः में निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी नं0 1 का आंवटन निरस्त किया जावे।

अप्रार्थी नं0 2 के योग्य अभिभाषक ने जबाब प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य आधारहीन , असत्य एवं अवैधानिक प्रस्तुत किये गये है । स्व0 श्रीमति मनोहर कंवर का अस्थाई आंवटन कानून सम्मत था । इसलिए सलाहकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति एवं सहमति से श्रीमति मनोहर कंवर को अस्थाई काश्त पर आंवटित भूमि का कीमतन पुख्ता आंवटन किया गया । प्रार्थी शिकायत कर्ता ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की बाबत कोई भी आधार युक्त दलील अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है । सन 1975 में श्रीमति मनोहर कंवर की ग्राम अमरपुरा जाटान में रिहायश थी । इसी दौरान अस्थाई आंवटन हेतु प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आमत्रित किये गये । चूकि आंवटन दर0 देते समय श्रीमति मनोहर कंवर की रिहायस ग्राम अमरपुरा जाटान में थी । इसलिये दरख्वास्त में रिहायश का स्थान अमरपुरा जाटान दर्ज किया गया । यही 36-06बीघा भूमि बाद में स्थाई आंवटन नियम 1975 के तहत कीमतन पुख्ता आवंटन कर दी गई । स्व0 श्रीमति मनोहर कंवर ने कोई सरकार को धोखा नही दिया कोई तथ्य छिपाया नही है । प्रार्थी की दरख्वास्त महज अप्रार्थी नं0 3 श्रीमति रूकमा के पुत्रो से रंजिश रखने के कारण परेशान व आर्थिक नुकसान पहुचाने की दृष्टि से आधारहीन प्रस्तुत की गई है । स्व0 श्रीमति मनोहर कंवर के वारिसान अप्रार्थी नं0 2 व 3 द्वारा पुख्ता आंवटन के समय सही परिचय -पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त परिचय पत्र से अप्रार्थी नं0 2 व 3 अपनी माता स्व0 श्रीमति मनोहर कंवर की अस्थाई काश्त पर आंवटित एवं प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण की जा रही कब्जा काश्त की खसरा नं0 172/2 की 30-00बीघा, खसरा नं0 78 की 4-06 बीघा , खसरा नं0 67/2 की 2-00बीघा कुल 36-06 बीघा भूमि पुख्ता आंवटन करवाने के हकदार थे । यही 36-06बीघा भूमि अप्रार्थी नं0 2 व 3 को कीमतन पुख्ता आंवटन की गई । तथा खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर उपनिवेशन की धारा 11, 14 के तहत आंवटन निरस्त नही किया जा सकता । अपने कथन के समर्थन में न्यायक दृष्टान्त 2014 आर बी जे पेज नं0 685 , 2016 आर बी जे पेज नं0 404 , 2018 आर बी जे पेज नं0 539 (HC) के उद्धरण पेश किये।

अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के योग्य अधिवक्ता ने प्रार्थी के बहस तर्को का प्रतिकार करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी नं0 1 आंवटी के पक्ष में विधिक प्रकिया के तहत प्रश्नगत आंवटन किया है। जिसके पेटे समस्त राशि राजकोष में जमा कराई जा चुकी है तथा उनके पक्ष में सनद सं0 037126 दिनांक 07-09-1990 को जारी हो चुकी है। अप्रार्थीया मनोहर कंवर ग्राम अमरपुरा जाटान में निवास करती थी और वहां का राशन कार्ड बना हुआ था । प्रार्थी स्वयं स्वीकार कर रहा है कि आंवटी बड़ाकोटेचा तहसील ओसिया जिला जोधपुर राजस्थान की निवासी थी। अस्थाई आवंटन नियम के नियम-7(vii) में स्पष्ट प्रावधान है कि A Person with qualification as in (i) residing in any part of Rajasthan अस्थाई आंवटन का पात्र माना गया है। अप्रार्थी नं0 1 को आंवटित रकबा का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण होता रहा है।

--4 पर लगातार

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

पुख्ता आंवटन पत्रावली 202/89 निर्णय दिनांक 08-01-1990 द्वारा सलाहाकार समिति के सभी सदस्यो ने आवंटन पत्रावली की पूर्ण जांच करने के पश्चात मनोहर कंवर के जायज वारिसान अप्रार्थी नं0 1/1, 1/2 को 36-06 बीघा भुमि का पुख्ता आंवटन किया गया ।

अन्त में अप्रार्थी नं0 2 ता 5 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी नं0 1 मनोहर कंवर को अस्थाई आंवटन के 37 वर्ष बाद व पुख्ता आंवटन के 23 वर्ष बाद, सन्द जारी होने के 22 वर्ष बाद, तथा बैयनांमा के 20 वर्षो बाद प्रार्थी शिकायत एकमात्र रंजिश से पेश की है। प्रार्थी ने पत्रावली में अप्रार्थी नं0 1 पति जोगा सिह के नाम संयुक्त खाता में 4-00 बीघा बारानी भुमि होना दर्शित किया है जिसमें अप्रार्थीया का हिस्सा माना जाए तो एक बीघा बारानी भुमि होगी । इस आधार पर किसी का आवंटन धारा 11/14 कोलो0 एक्ट खारिज नही किया जा सकता है अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2013 आर आर डी पेज नं0 582, 1999 आर आर डी पेज नं0 597 (HC) , 2001आर बी जे पेज नं0 353(HC) , 1995 आर बी जे पेज नं0 780(HC) , 2017 आर बी जे पेज नं0 27-31 प्रस्तुत किया ।

उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक की और से की गयी बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया । अधिनियम 1954 एवं दोनो पक्षो की और से प्रस्तुत कानूनी नजीरो का विवेचन किया गया ।

न्यायालय के समक्ष उपलब्ध पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी नं0 1 मनोहर कंवर को वाद ग्रस्त आराजी वर्ष 1975 में अस्थाई आवंटन हुई थी तथा इसके पश्चात आंवटी को रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं0 172 में 30-00बीधा , खसरा नं0 67 में 2-00बीघा एवं खसरा नं0 78 में 4-06 बीघा कुल 36-06 बीघा भुमि का लगातार नवीनीकरण होता रहा है । जिस पर वरवक्त पुख्ता आंवटन सलाहाकर कमेटी के सदस्यो ने मूल आवंटन पत्रावली का पूर्ण अवलोकन एवं मौका रिपोर्ट आने पश्चात पुख्ता आंवटन कर जैरवाद रकबा पर आंवटन राशि लगायी गयी एवं समस्त आवंटन राशि राजस्व कोष में जमा होने के पश्चात तहसीलदार रिपोर्ट के पश्चात खातेदारी जारी की गई। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के मुताबिक अप्रार्थीया नं0 1 को 30-00बीघा आंवटन के पश्चात संवत 2042 में 36-06बीघा बिना किसी आदेश के कर दिया एवं अप्रार्थीया नं0 1 ग्राम अमरपुरा जाटान की निवासी न होकर बड़ाकोटेचा तहसील ओसिया जिला जोधपुर राजस्थान की निवासी थी । ऐसी अवस्था में नियम विरूद्ध आंवटन आदेश प्राप्त कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुचाया है । जबकि अप्रार्थी नं0 1 मनोहर कंवर के नाम का राशन कार्ड ग्राम अमरपुरा जाटान बना हुआ है तथा मनोहर कंवर के वारिसान अप्रार्थी नं0 1/1 व 1/2 ने अपने सही पते बड़ाकोटेचा तहसील ओसिया पत्रावली में बताया गया है । जिससे स्पष्ट होता है कि कोई तथ्य छुपाया नही गया है । आंवटी की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात सलाहाकर कमेटी के सदस्यों ने पुख्ता आंवटन किया गया तथा अस्थाई आवंटन नियम के नियम – 7 (vii) में स्पष्ट प्रावधान है कि A Person with qualification as in (i) residing in any part of Rajasthan अस्थाई आंवटन का पात्र माना गया है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्य न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो में यह सिद्धान्त प्रतिवादित किया । अस्थाई आंवटन के कम से लेकर सन्द के बाद दीर्घ समय के बाद तकनीकी आधार आंवटन निरस्त नही किया तथा खातेदारी अधिकार प्रदान करने के पश्चात मात्र शिकायत के आधार पर बिना किसी रिकार्ड एवं दस्तावेज के आंवटन निरस्त करना उचित नही है । हस्तगत प्रकरण में तथ्यों को छिपाने का आरोप निराधार एवं रिकार्ड से परे है । उक्त विवेचन के आधार पर शिकायत प्रार्थना-पत्र धारा 11/14 कोलो0 एक्ट 1954 खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/12/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

02/12/22

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner